

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख)के अन्तर्गत अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना।

बिन्दु संख्या-01 अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य:-

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका मुख्य दायित्व निष्पक्ष एवं पारदर्शी जाँच/विवेचना किया जाना है। अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0का मुख्यालय विकल्प खण्ड-2 गोमतीनगर लखनऊ में स्थित है। इसका ई-मेल cbcid@nic.in एवं फैक्स नम्बर-0522-2729011 नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर-0522-2729014 हैं। अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 के अन्तर्गत 09 खण्ड कार्यालय हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

- 1- मेरठ
- 2- बरेली
- 3- लखनऊ
- 4- गोरखपुर
- 5- प्रयागराज
- 6- वाराणसी
- 7- आगरा
- 8- कानपुर
- 9- सीआईएस लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 को सामान्यतया गम्भीर अपराधिक मामलों की जाँच/विवेचना एवं विवेचनाओं का चेकअप अभिदिष्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त सभी जाँच/विवेचनाओं को मुख्यालय द्वारा सी0बी0संख्या आवंटित कर जाँच/विवेचना हेतु खण्ड कार्यालयों को भेजा जाता है एवं इसकी सूचना शासन को प्रेषित कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त एन0एच0आर0सी0 व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 से विवेचना/जाँच कराये जाने की अपेक्षा पर उ0प्र0शासन द्वारा जाँच विवेचना अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 को अभिदिष्ट की जाती हैं।

बिन्दु संख्या-2 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:-

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० के विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं तथा विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ क्रमवार निम्नवत् अधिकारीगण नियुक्त हैं:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक
- 2- पुलिस महानिरीक्षक
- 3- पुलिस उप महानिरीक्षक
- 4- पुलिस अधीक्षक
- 5- अपर पुलिस अधीक्षक
- 6- पुलिस उपाधीक्षक

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक संगठन का चार्ट संलग्नक 01 पर उपलब्ध है।

(1) पुलिस महानिदेशक ।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं। अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० में नियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं इस विभाग के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न खण्डों में नियुक्त खण्डाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी एवं मुख्यालय/खण्ड में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० द्वारा सम्पादित की जा रही जाँच एवं विवेचनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० के अनुमोदन के उपरान्त अन्तिम प्रगति आख्या उ०प्र०शासन को प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय-लखनऊ पर स्थित अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ओ०सी०आई०एस०/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक ।

अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में नियुक्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित खण्ड/मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों दिये गये दण्ड के

उपरान्त अपील अस्वीकार हो जाने के उपरान्त रिवीजन का निस्तारण अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। उ०प्र० राज्य नारकोटिक्स सेल के नोडल अधिकारी अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ हैं। इसके अतिरिक्त अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय-लखनऊ पर स्थित अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ ओ०सी०आई०एस०/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है।

(3) पुलिस महानिरीक्षक

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में नियुक्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित खण्ड/मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय-लखनऊ पर स्थित अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ओ०सी०आई०एस०/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है।

(4) पुलिस उप महानिरीक्षक।

पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में नियुक्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित खण्ड/मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों दिये गये दण्ड के उपरान्त अपील का निस्तारण पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ हैं।

(5) पुलिस अधीक्षक।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में एवं खण्डों में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। खण्ड कार्यालय द्वारा सम्पादित की जा रही जाँच/विवेचनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। सम्बन्धित खण्डों द्वारा सम्पादित की जा रही जाँच/विवेचनाओं में अन्तिम प्रगति आख्या सम्बन्धित अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान

विभाग, उ0प्र0 को अनुमोदन हेतु भेजी जाती है। अनुमोदन के उपरान्त उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/ लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ओ0सी0आई0एस0/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है।

(6)अपर पुलिस अधीक्षक।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 में अपर पुलिस अधीक्षक खण्ड कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी होता है। इस विभाग के खण्ड कार्यालयों में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी द्वारा सम्बन्धित खण्ड से की जा रही जाँच/विवेचना/चेकअप के पर्यवेक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है तथा खण्ड में नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन एवं अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय पर नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/गोपन शाखा/ लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/नारकोटिक्स शाखा/खेलकूद एवं कल्याण/ओ0सी0आई0एस0/वन्य जीव प्रकोष्ठ/महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

(6) पुलिस उपाधीक्षक।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा एस0सी0/एस0टी0 एक्ट तथा दहेज मृत्यु से सम्बन्धित अपराधों की जाँच/विवेचनाओं एवं अति-महत्वपूर्ण जाँच/विवेचनाओं को सम्पादित किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित प्रारम्भिक जाँच का कार्य भी सम्पादित किया जाता

बिन्दु संख्या-3 विनिश्चित करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:-

1- अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 द्वारा सम्पादित किये जाने कार्यों को सुचारु रूप से संचालन हेतु सी0बी0सी0आई0डी0 मैनुअल उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु समय-समय पर यथावश्यक स्थायी आदेश निर्गत किये गये हैं। उ0प्र0शासन तथा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक/ उ0प्र0 पुलिस

मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन किया जाता है।
है। द0प्र0सं0के प्रावधानों के अनुरूप विवेचना सम्पादित की जाती है।

2- अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग में प्रशासनिक नियन्त्रण/संचालन एवं कर्मियों में अनुशासन बनाये रखने हेतु उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की(दण्ड एवं अपील)नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

3- अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय एवं अन्य खण्डों में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति,स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति आदि का कार्य संगत नियमावली/संगत शासनादेशों/संगत विभागीय आदेशानुसार सम्पादित किये जाते हैं।

4- अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 द्वारा विवेचना का कार्य निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक,अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। खण्डों में विवेचकों का पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा अपर पुलिस अधीक्षक का पर्यवेक्षण अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय पर नियुक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है।

बिन्दु संख्या-4 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदण्ड

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के अधीन है। इस विभाग में मुख्यतः जाँच एवं विवेचना प्राप्त होने का स्रोत उ0प्र0शासन है। मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 रा0मा0अधिकार आयोग द्वारा सीबीसीआईडी को प्रकरण अभिदिष्ट किये जाने पर उ0प्र0शासन द्वारा जाँच/विवेचना अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग को जाँच/विवेचना का आदेश निर्गत किया जाता है। अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 द्वारा स्वतः कोई जाँच विवेचना ग्रहण नहीं की जाती है। विवेचना की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए अधिकारियों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण व विवेचना का मार्गदर्शन किया जाता है। अन्तिम प्रगति आख्या पुलिस महानिदेशक,अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 द्वारा अनुमोदन के उपरान्त शासन को प्रेषित की जाती है।

बिन्दु संख्या-05 विभाग के कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले दायित्वों हेतु निर्धारित मानदण्ड

(1) निरीक्षक।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त निरीक्षकों द्वारा जाँच/विवेचना का कार्य सम्पादित किया जाता है। सभी निरीक्षकों को

जॉच/विवेचना को शासन द्वारा दी गयी समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। प्रत्येक निरीक्षक को वर्ष में कम से कम 04 जॉच/विवेचनाएं पूर्ण करने का मानक निर्धारित है।

(2) उप निरीक्षक।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग में नियुक्त उप निरीक्षक का मुख्य कार्य जॉच/विवेचना में विवेचकों का सहयोग किया जाना है। मुख्यालय पर अन्य प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है।

(3) मुख्य आरक्षी।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त मुख्य आरक्षीगण द्वारा खण्डों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अभियोगों में प्रभावी पैरवी का कार्य सम्पादित किया जाता है तथा विवेचना में सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय/खण्डों में नियुक्त मुख्य आरक्षीगण द्वारा उच्चाधिकारीगण द्वारा सौंपे गये कार्यों/आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(4) आरक्षी।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त आरक्षीगण द्वारा खण्डों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अभियोगों में प्रभावी पैरवी का कार्य सम्पादित किया जाता है तथा विवेचना में सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय/खण्डों में नियुक्त मुख्य आरक्षीगण द्वारा उच्चाधिकारीगण द्वारा सौंपे गये कार्यों/आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(5) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाता है।

बिन्दु संख्या-06 ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं,प्रवर्गों का विवरण।

- 1- अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 का स्वयं का मैनुअल है जिसके आधार पर अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान में कार्यवाही की जाती है।
- 2- एन0जी0ओ0 पत्रावलियों(परम गोपनीय दस्तावेज)
- 3- अन्तिम प्रगति आख्या (गोपनीय दस्तावेज)
- 4- अन्य विभागीय निर्देश/आदेश यथा-प्रशिक्षण सम्बन्धी, प्रोन्नति, विभागीय कार्यवाही इत्यादि।

बिन्दु संख्या-07व 08

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन कार्य करता हैं।

बिन्दु संख्या-09 एवं 10-अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका एवं प्राप्त मासिक परिश्रमिक से सम्बन्धित विवरण।

अपेक्षित विवरण "बी" एवं "सी" संलग्न है।

बिन्दु संख्या-11, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययकों किये गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए आयोग के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

बजट व्यय से सम्बन्धित विवरण बेवसाइट www.koshvani.up.nic.in के उपशीर्षक-026-गृह(पुलिस) के अन्तर्गत उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या-12, सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राह्यों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

इस विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है।

बिन्दु संख्या-13 विभाग द्वारा अनुउत्तर रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।

इस विभाग पर लागू नहीं हैं।

बिन्दु संख्या-14 किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों:-

इस विभाग पर लागू नहीं हैं।

बिन्दु संख्या-15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यक्रम घन्टे सम्मिलित हैं:-


अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, मुख्यालय स्तर पर आम नागरिकों के उपयोग के लिए पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष की व्यवस्था नहीं है।

बिन्दु संख्या-16 इस विभाग के सूचना अधिकारियों के नाम, पद नाम और अन्य विशिष्टियाँ।

जन सूचना अधिकारी	नाम	पद नाम	दूरभाष नम्बर	
			कार्यालय	सी0यू0जी0
अपीलीय अधिकारी	श्री दावा शेरपा	अपर पुलिस महानिदेशक	0522-2729205	9454400180
जन सूचना अधिकारी	श्रीमती गीता सिंह	पुलिस अधीक्षक	0522-2729014	9454401135

बिन्दु संख्या-17, ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

शून्य



संलग्नक-बी

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में नियुक्त राजपत्रित अधिकारीगण की सूची

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम / नियुक्ति स्थान	सी०यू०जी०
1	श्री पी०वी० रामाशास्त्री	पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ	9454400109
2	श्री दावा शेरपा	अपर पुलिस महानिदेशक प्रथम, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454400180
3	श्री एल०वी० एंटनी देव कुमार	अपर पुलिस महानिदेशक द्वितीय, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454400149
4	श्री राम कृष्ण स्वर्णकार	अपर पुलिस महानिदेशक तृतीय, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454400417
5	श्रीमती गीता सिंह	पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454401135
6	श्री राहुल राज	पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454400319
7	श्री राजकमल यादव	पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454400220
8	श्रीमती सुनीता सिंह	पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454401664
9	श्री विनोद कुमार मिश्रा	पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454400318
10	श्री देवेन्द्र नाथ	पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454457717
11	श्रीमती मोहिनी पाठक	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-मेरठ	9454401139
12	डा० कृष्ण गोपाल	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-वाराणसी	9454401138
13	श्री लल्लन प्रसाद	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-लखनऊ	9454401138
14	श्री असीम चौधरी	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-आगरा	9454401134
15	श्री राजेश कुमार भारती	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-गोरखपुर	9454401140
16	श्री समीर सौरभ	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-प्रयागराज	9454401883
17	श्री शम्भू शरण यादव	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, सीआईएस-प्रथम लखनऊ / खण्डाधिकारी बरेली	9454401142
18	श्री शैलेन्द्र सिंह	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-लखनऊ	9454402504
19	श्रीमती मोनिका यादव	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-लखनऊ	9454402504
20	श्री महेन्द्र पाल सिंह	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-लखनऊ	8318202370
21	श्री कमर मजीद	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-सीआईएस लखनऊ	9454401664
22	श्री आलोक कुमार अग्रहरि	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-सीआईएस लखनऊ	8787089278
23	श्री सुनील कुमार सिंह	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-आगरा	9454401662
24	श्री विनीत सिंह	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-कानपुर	9454401141
25	श्री नरेश सिंह	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-प्रयागराज	9454402497
26	श्रीमती जया शाण्डिल्य	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय-लखनऊ	9454400821
27	श्री जगदीश प्रसाद यादव	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय-लखनऊ	9454401906
28	श्री सुधीर कुमार तोमर	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-मेरठ	9454404909
29	श्रीमती स्नेहा तिवारी	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-वाराणसी	9454404911
30	श्री कालू सिंह	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध शाखा, अप०अनु०विभाग, खण्ड-बरेली	9454401667

	श्री कुलशेखर सिंह	अपर निदेशक अभियोजन, अपराध शाखा,अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454456417
32	श्रीमती सरिता कुमार	संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा,अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454456546
33	श्री रविन्द्र सिंह	संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी, अपराध शाखा,अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454456324
34	श्री राजेश त्रिपाठी	संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा,अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454456966
35	श्री दिनेश त्रिपाठी	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा,अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454456754
36	श्री संजय कुमार सिंह	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा,अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454455646
37	श्री कृष्ण प्रसाद मिश्र	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा,अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9450085362
38	श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा,अप0अनु0विभाग,खण्ड-लखनऊ	9454456226
39	श्री शंशाक मिश्रा	अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, सीआईएस-प्रथम	9454456337
40	श्री जय हिन्द	अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग,खण्ड-प्रयागराज	9454456841
41	श्री राकेश चन्द्र पाण्डेय	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग,खण्ड-गोरखपुर	9454456828
42	श्री नागेश कुमार दीक्षित	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-कानपुर	9454456218
43	श्री अजय कान्त कन्नौजिया	अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-कानपुर	9454456744
44	श्री दिवाकर शर्मा	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा,अप0अनु0 विभाग, खण्ड-मेरठ	9454456609
45	श्री कविता रानी सिंह	अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-मेरठ	9454456437
46	श्री संजय कुमार	अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-मेरठ	9454456389
47	श्री केशन लाल	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-आगरा	9454456762
48	श्री विनोद कुमार सिंह	अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-आगरा	9454456473
49	श्री सुशील कुमार	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-वाराणसी	9454456605
50	श्री राजेश कुमार सिंह	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-प्रयागराज	9454456918
51	श्री मृत्युंजय सिंह	अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-वाराणसी	9454456476
52	श्री सतीश राय	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अपराध शाखा, अप0अनु0विभाग, खण्ड-बरेली	9454456893

संलग्नक सी

क्रम स०	पदनाम	उपलब्धता	वेतनमान
1	पुलिस महानिदेशक	01	लेवल-16
2	अपर पुलिस महानिदेशक	02	लेवल-15
3	पुलिस उप महानिरीक्षक	01	लेवल-13ए
4	पुलिस अधीक्षक	07	लेवल-13
5	अपर पुलिस अधीक्षक	08	लेवल-12
6	पुलिस उपाधीक्षक	08	लेवल-10
7	अपर निदेशक अभियोजन	01	लेवल-13
8	संयुक्त निदेशक अभियोजन	00	लेवल-12
9	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	13	लेवल-11
10	अभियोजन अधिकारी	07	लेवल-10
11	निरीक्षक	82	लेवल-07
12	उप निरीक्षक	19	लेवल-06
13	मुख्य आरक्षी	194	लेवल-04
14	आरक्षी	33	लेवल-03
15	चतुर्थ श्रेणी	61	लेवल-01

लिपिकीय संवर्ग का विवरण

16	निरीक्षक गोपनीय	06	लेवल-07
17	उप निरीक्षक गोपनीय	23	लेवल-06
18	निरीक्षक लिपिक/लेखा	04	लेवल-07
19	उप निरीक्षक लिपिक/लेखा	14	लेवल-06
20	सहायक उपनिरीक्षक लिपिक	26	लेवल-05
21	मुनीम	02	लेवल-03

परिवहन शाखों के कर्मियों का विवरण

22	उप निरीक्षक मोटर परिवहन	01	लेवल-06
23	मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन	13	लेवल-04
24	आरक्षी चालक	51	लेवल-03